न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम–मुकुट सिंह , आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या–71ए/2023

दर्ज तिथि–14/07/2023

प्रार्थी

1. बजरंगलाल दत्तक पुत्र रेवड़ जाति हरियाणा ब्राहमण निवासी ग्राम भूड़ला तहसील तूंगा जिला जयपुर।

बनाम

अप्रार्थी

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बस्सी तहसील बस्सी जिला जयपुर।
2. कन्हैया पुत्र कालू जाति हरियाणा ब्राहमण निवासी ग्राम भूड़ला तहसील तूंगा जिला जयपुर।

प्रार्थना पत्र धारा 128 एल.आर. एक्ट, 1956

निर्णय दिनांक 08/05/2024

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश कर प्रार्थीगण की खातेदारी एवं काश्त की भूमि खसरा संख्या 60 रकबा 0.2529 है0. कुल किता 1 कुल रकबा 0.2529 है0. ग्राम भूड़ला पटवार हल्का भूड़ला भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बांसखोह तहसील तूंगा, प्रार्थी खसरा संख्या 60 रकबा 0.2529 है0. कुल किता 1 कुल रकबा 0.2529 है0. ग्राम भूड़ला पटवार हल्का भूड़ला भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बांसखोह तहसील तूंगा, द्वारा किये गए सीमाज्ञान दिनांक 21/06/2023 के अनुसार पत्थरगढी करवाये जाने का आदेश चाहा है। अप्रार्थी संख्या 01 का जवाब पत्रावली पर प्राप्त है तथा अप्रार्थी संख्या 02 को जारी रजि0 डाक रसीद की द्वितीय प्रति पत्रावली में संलग्न है। रजि0 एडि करवाये एक माह से अधिक का समय हो जाने पर भी अप्रार्थी संख्या 02 आज तक उपस्थित नहीं, लिहाजा सम्यक तामील मानी जाकर अप्रार्थी संख्या 02 के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम सीमाज्ञान धारा 111 में विहित रिति से किये जाने का प्रावधान है। धारा 111 में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि सीमाज्ञान वर्तमान सर्वेक्षण मैप के आधार पर किया जावेगा। ग्राम भूड़ला के सर्वेक्षण मैप में खसरा नम्बर 60 रकबा 0.2529 है0. कुल किता 1 कुल रकबा 0.2529 है0. ग्राम भूड़ला पटवार हल्का भूड़ला भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बांसखोह तहसील तूंगा, कि सीमाऐ स्पष्ट है। अप्रार्थी तहसीलदार तूंगा को आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी कि विवादित भूमि के पड़ौसी काश्तकारों को प्रार्थी के खर्चे पर सूचित करते हुऐ खसरा नम्बर 60 रकबा 0.2529 है0. कुल किता 1 कुल रकबा 0.2529 है0. ग्राम भूड़ला पटवार हल्का भूड़ला

उपखण्ड अधिकारी बस्सी जिला-जयपुर

भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बांसखोह तहसील तूंगा का सीमाज्ञान एवं सीमाचिन्ह प्रार्थी के खर्चे पर मुताबिक धारा 111 भू–राजस्व अधिनियम के प्रावाधानो अनुसार लगाने हेतु संबंधित भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र एवं उस भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र के तीन पटवारीगणों की सयुक्त टीम गठित की जाकर यदि मौंके पर कानुन व्यवस्थार्त पुलिस जाप्ता की आवश्यकता हो तो संबंधित पुलिस थाना से पर्याप्त पुलिस इमदाद प्राप्त कर न्यायालय हाजा के आदेश की पालना नियमानुसार करें।

यहां यह स्पष्ट है कि यह आदेश केवल सीमाज्ञान एवं सीमाचिन्ह कायम करने हेतु है इस आदेश की पालना में किसी भी पक्ष को जबरन बेदखल कर दुसरे पक्ष को कब्जा न दिलाया जावें। आदेश की प्रति तहसीलदार तूंगा को पालनार्थ भेजी जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

08/5/2024

(मुकुट सिंह)
उपखण्ड अधिकारी बस्सी
जिला जयपुर

यह आदेश आज दिनांक 08/05/2024 को सुनाया गया।

08/5/2024

(मुकुट सिंह)
उपखण्ड अधिकारी बस्सी
जिला जयपुर

उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बस्सी
सत्यमेव जयते
जिला जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
बस्सी जिला जयपुर